

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक: 01.04.2025

प्रेस नोट

पुनर्गणना (Re-Totalling) के संबंध में

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2023 के मुख्य परीक्षा परिणाम दिनांक 02.01.2025 में असफल अभ्यर्थियों (हॉरिजोण्टल श्रेणी-विभागीय कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी व दिव्यांग वर्ग के अतिरिक्त) को नियमानुसार उक्त परीक्षा में प्राप्तांको की पुनर्गणना (Re-Totalling) कराने हेतु दिनांक 03.04.2025 से दिनांक 12.04.2025 (रात्रि 12 बजे) तक निम्नानुसार ऑनलाईन अवसर प्रदान किया जाता है :-

1. मुख्य परीक्षा परिणाम में असफल अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं में प्राप्त प्राप्तांको की पुनर्गणना (Re-Totalling) हेतु आयोग की वेबसाईट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर EXAM DASHBOARD के अन्तर्गत Instructions/ Link कॉलम में उपलब्ध Link को Click करते हुए Online आवेदन करें।
2. 25/- रू प्रति प्रश्न पत्र की दर से शुल्क का ऑनलाईन ही भुगतान करें।
3. ऑफलाईन रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं ऑफलाईन रूप से शुल्क स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4. राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 18(1) में उत्तर पुस्तिकाओं के प्राप्तांको की पुनर्गणना (Re-Totalling) का प्रावधान किया गया है। उक्त नियम में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) को अनुमत नहीं किया गया है। अतः पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) सम्भव नहीं होगा।

(रामनिवास मेहता)

सचिव